फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
जेठाराम बनाम जुंजाराम इत्यादि

नाम मुकदमा.. विविध–रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र न. 25 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.01.2026	पत्रावली मुख्यालय जोधपुर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टल ट्रेक रिपोर्ट मुताबिक अप्रार्थीगण को नोटिस डिलीवर हो चुके है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील प्रार्थी के निवेदन पर उनकी रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते बरामद करने अपील पर बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील दिनांक 14.06.2019 नियत थी। दिनांक 14.06.2019 को अपीलांट के अधिवक्ता माननीय न्यायालय में हाजिर नहीं हुए तथा अपीलांट को आगामी पेशी से अवगत नहीं करवाया गया तथा प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में हाजिर नहीं होने को कहा गया। इस कारण अपीलांट न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर माननीय न्यायालय द्वारा अपील अदम हाजरी में खारिज कर दी गई। अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर प्रकरण के बारे में जानकारी चाही तो अधिवक्ता द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। तब प्रार्थी द्वारा अन्य अधिवक्ता नियुक्त प्रकरण की जानकारी करवायी तो अपील दिनांक 14.06.2019 को अदम हाजरी में खारिज होने की जानकारी मिली। तब प्रार्थी द्वारा अविलंब नकल लेकर हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के कारण अपीलार्थी को न्याय से वंचित नही रखा जाना चाहिए। इसलिए न्याय हित में पार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः रेस्टोर किया जाना आवश्यक है। अंत में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी अंदर म्याद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अपील को रेस्टोर फरमा कर पुनः नंबर पर लिए जाने का आदेश फरमाया जावें। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अदालत हाजा द्वारा अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर अपील दिनांक 14.06.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई है। कानूनन अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकारान् को दिया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी अन्दर म्याद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर स्वीकार किया जाता है एवं अपील पुनः नंबर पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम की जाकर मूल अपील के साथ नत्थी हो। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	